



Neutral Citation No- 2026:AHC:16485

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 775/2026

अंजनी कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुशील कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय के पास इस रिट याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। इसका आधार यह है कि आक्षेपित आदेश, जो चुनौती का विषय है, जम्मू और कश्मीर में पारित किया गया है और केवल इस तथ्य से कि पांचवां प्रतिवादी बलिया का निवासी है और रिट याचिकाकर्ता भी बलिया का निवासी है, इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता है।
3. उक्त तथ्य पर रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108 में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया जाता है, रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है, जिससे रिट याचिकाकर्ता को इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मौका मिलता है।

22 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)